बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

दिनांक ....

पत्रांक :..................................

अध्यक्ष
अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123
+++
उपाध्यक्ष
★ शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

(M) 9934280177
(O) 0612-2219693
+++
महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(O) 9431818484
+++
संयुक्त सचिव
★ राजयनन्द बडियार
(M) 9431093157
(O) 9431818010

★ अनिल कुमार
(M) 9431409463
+++
कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351
+++
संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901
(O) 9334387555

1. प्रधान सचिव 13
योजना एवं विकास विभाग के कोषाग 1-4-2010
मुख्य सचिवालय कक्ष संख्या 37A
तीन प्रति सी० डी० सहित

Received
Rajesh
07/04/10

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक : 13

दिनांक 1-4-2010

अध्यक्ष
अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123
+++
उपाध्यक्ष
* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(R) 0612-2288139
* मो॰ एखलाक अहमद
(M) 9934280177
+++
महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(R) 0612-2271428
+++
संयुक्त सचिव
* राजचन्द्र बड़ियार
(M) 9431093157
* अनिल कुमार
(M) 9431409463
+++
कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351
+++
संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901

सेवा में

प्रधान सचिव
योजना एवं विकास विभाग के कोषांग
मुख्य सचिवालय कक्ष संख्या–37ए ।

विषयः वेतन समिति की अनुशंसा एवं स्वीकृत वेतनमान पर आपत्ति के सम्बन्ध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में समिति का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 362 वि0(2) दिनांक 17.01.2009 द्वारा षष्टम् केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा का वैचारिक पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2006 से तथा वास्तविक लाभ दिनांक 01.04.2007 की तिथि से देने का आदेश निर्गत किया गया है तथा संकल्प संख्या–363 वि0(2) दिनांक 17.01.2009 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा को अन्य 5 सेवाओं के साथ प्रीमियर सेवा घोषित करते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों का अनुमोदित वेतनमान का उत्क्रमण कर वैचारिक लाभ दिनांक 01.01.2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 8000–13,500 में निर्धारित करते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना में औपबन्धिक रूप से पे-बैण्ड–3 के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रू0 5400 प्रदान किया गया है(छाया प्रति संलग्न)।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या–630 दिनांक 21.01.2010 एवं संकल्प संख्या–2110 दिनांक 26.02.2010 यथा संशोधित आदेश के द्वारा मूल कोटि के पदाधिकारी को प्रथम चार वर्ष के लिए अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 6500–10500(8000–13500) को पुनरीक्षित वेतनमान पे–बैण्ड–2 ग्रेड पे–5400 में परिवर्त्तित कर दिया गया एवं तदोपरान्त सेवा सम्पुष्टि के पश्चात् ग्रेड पे–5400 पे बैण्ड–3 स्वीकृत किया गया।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक :.................................. दिनांक ....

अध्यक्ष
अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

+++

उपाध्यक्ष
* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(R) 0612-2288139

* मो॰ एखलाक अहमद
(M) 9934280177

+++

महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(R) 0612-2271428

+++

संयुक्त सचिव
* राजचन्द्र डडियार
(M) 9431093157

* अनिल कुमार
(M) 9431409463

+++

कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

+++

संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901

उपर्युक्त वित्त विभागीय निर्णय वेतन समिति की निम्न अनुशंसा के आधार पर आधारित है :–

(क) झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को पे–बैण्ड–2 दिया गया है।

(ख) पे–बैण्ड–3 केवल ग्रेड–ए के पदाधिकारियों को दिया जाना है। चूंकि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी ग्रेड–ए के पदाधिकारी नहीं हैं। अतः बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को पे–बैण्ड–3 का वेतनमान मान्य नहीं है।

उपर्युक्त वेतन समिति की अनुशंसा पूर्ण रूप से दोषपूर्ण है जो निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है :–

(क) वेतन समिति देश के कुल 25 राज्यों में से मात्र दो राज्य के आधार पर पे–बैण्ड–2 देने की अनुशंसा की है जबकि अन्य राज्य जहां राज्य प्रशासनिक पदाधिकारियों को पे–बैण्ड–3 वेतनमान दिया गया है को जान बूझ कर विचारण क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

अनेक राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तामिलनाडु आदि में राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को पे–बैण्ड–3(ग्रेड पे–5400) स्वीकृत किया गया है। सम्बन्धित राज्यों द्वारा अनुशंसित वेतनमान की छाया प्रति संलग्न है।

(ख) भारत सरकार के अनुरूप कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–9849 दिनांक 10.11.2004 (छाया प्रति संलग्न) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि छठे वेतन पुनरीक्षण के संदर्भ में फिटमेंट कमिटि की अनुशंसा के आलोक में केन्द्र के अनुरूप भारत सरकार के अधीन पदों को निम्नांकित रूप से वर्गीकृत किया जाता है :–

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ
प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक :..................................   दिनांक ....

अध्यक्ष
अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123
+++
उपाध्यक्ष
★ शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(R) 0612-2288139
★ मो॰ एखलाक अहमद
(M) 9934280177
+++
महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(R) 0612-2271428
+++
संयुक्त सचिव
★ राजचन्द्र बडियार
(M) 9431093157
★ अनिल कुमार
(M) 9431409463
+++
कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351
+++
संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901

पदों के वर्गीकरण में उल्लेखित है कि कोई भी पद जिसका वेत अथवा जिसका वेतनमान का अधिकतम रू0 13,500 से कम नहीं समूह–क(ग्रेड–ए) के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा क वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में 8000–13,50 निर्धारित है तथा जिसे वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2110 दिनांक 26.02.201 द्वारा भी सम्पुष्ट किया गया है, के तहत बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिका ग्रेड–ए के पदाधिकारी के रूप में वर्गीकृत है।

उपर्युक्त कंडिका–(क) एवं (ख) के अवलोकन से स्पष्ट है वि सभी तथ्य नियमानुसार रहते हुए भी वेतन समिति द्वारा बिहार प्रशासनिक सेव के पदाधिकारियों को पे–बैण्ड–3 के वेतनमान के दावे को अस्वीकृत किय गया।

बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए स्वीकृत वेतनमान का वित्तीय पहलुओं की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है पे–बैण्ड–2 एवं पे–बैण्ड–3 वेतनमान का ग्रेड–पे समान है अर्थात् 5400 है साथ ही वित्त विभागीय संकल्प संख्या–630 दिनांक 21.01.2010 के शिड्यूल–2 के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि पे–बैण्ड–2 के वेतनमान क अपुनरीक्षित इन्ट्री स्केल का पुनरीक्षित वेतन रू0 20,280 है जब कि पे–बैण्ड–3 के वेतनमान का अपुनरीक्षित इन्ट्री स्केल का पुनरीक्षित वेतन रू0 21,000 है अर्थात् मात्र पे–बैण्ड–2 एवं पे–बैण्ड–3 के वेतनमान में मात्र रू0–720 क अन्तर है। चूंकि वित्त विभागीय संकल्प द्वारा चार वर्ष की सेवा के पश्चात सम्पुष्ट होने पर पे–बैण्ड–3 का वेतनमान ग्रेड–पे–5400 रू0 स्वीकृत किया गय है। अतः लगभग 90 प्रतिशत पदाधिकारी चार वर्ष की सेवा पूरा करने के पश्चात् पे–बैण्ड–3 में उत्क्रमित हो चुके हैं। मात्र 10 प्रतिशत पदाधिकारी ह पे–बैण्ड–2 में बचे हुए हैं। पुनरीक्षित इन्ट्री स्केल में मात्र 720 रू0 के अंतर होने के कारण वित्तीय भार लगभग शून्य के बराबर है। यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि बिहार प्रशासनिक सेवा का पुनर्गठन कर उसके संवग

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक :................................ दिनांक ....

अध्यक्ष
अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

+++

उपाध्यक्ष
* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(R) 0612-2288139

* मो॰ एखलाक अहमद
(M) 9934280177

+++

महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(R) 0612-2271428

+++

संयुक्त सचिव
* राजनन्द बड़ियार
(M) 9431093157

* अनिल कुमार
(M) 9431409463

+++

कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

+++

संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901

बल को एक तिहाई (851) कर दिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में भी वित्तीय नही के बराबर है।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या–363 दिनांक 17.01.2009, जि द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा को अन्य पांच सेवाओं के साथ प्रिमियर घोषित करते हुए पे–बैण्ड–3 के अंतर्गत ग्रेड पे–5400 स्वीकृत किया उसमें भी इस पर गहन मंथन हुआ था एवं उपर्युक्त वर्णित सभी तथ्यों को ध में रखते हुए ही पे–बैण्ड–3 का वेतनमान की अनुशंसा करते हुए मंत्रिमण्डल प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं मंत्रिमण्डल के स्वीकृत्योपरान्त आदेश निर्गत वि गया।

संकल्प संख्या–363 दिनांक 17.01.2009, जिसके द्वारा पे–बैण्ड का वेतनमान स्वीकृत किया गया था, के कंडिका–4 जो निम्न प्रकार है, ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

इस निर्णय को कार्यान्वित करने के क्रम में कुछ संवर्गों पुनर्गठित करने की भी आवश्यकता होगी। इस संबंध में आवश्यक अनुश समर्पित करने के लिए वेतन समिति को अधिकृत किया जाता है।

अतः बिहार प्रशासनिक सेवा संघ यह मांग करती है कि जि तर्क के आधार पर वेतन समिति की अनुशंसा पे–बैण्ड–2 के लिए की गयी थ चूंकि वह तर्क आधारहीन है, वित्तीय बोझ नही के बराबर है। अतः रा सरकार द्वारा संकल्प संख्या–363 दिनांक 17.01.2009 द्वारा लिए निर्णय को कायम रखा जाय।

<u>2.स्थानान्तरण भत्ता एवं पैकिंग भत्ता:</u>

केन्द्रीय सरकार के कर्मियों की भांति 20 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थानान्तरण होने पर एक महीने के मूल वेतन के बराबर तथा

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक :................................ दिनांक ....

अध्यक्ष

अरूण चन्द्र मिश्र

(M) 9835281295

(M) 9939469410

(R) 0612-2526123

+++

उपाध्यक्ष

* शम्भु नाथ मिश्र

(M) 9431619672

(R) 0612-2288139

* मो॰ एखलाक अहमद

(M) 9934280177

+++

महासचिव

सुशील कुमार

(M) 9431091417

(R) 0612-2271428

+++

संयुक्त सचिव

* राजयनन्द बडियार

(M) 9431093157

* अनिल कुमार

(M) 9431409463

+++

कोषाध्यक्ष

चन्द्र शेखर सिंह

(M) 9334131351

+++

संयुक्त कोषाध्यक्ष

सोमेश बहादुर माथुर

(M) 9431407901

कि0मी0 के अन्दर स्थानान्तरण होने पर एक माह के वेतन का 1/3 भ स्थानान्तरण भत्ता के रूप में अनुमान्यता दी जाय।

3.वैयक्तिक सामानों का परिवहन भत्ता:

निजी सामानों को रेल से ले जाने पर 60 क्विंटल तक त सड़क द्वारा परिवहन करने पर 18/–रू0 प्रति किलो मीटर की दर अनुमान्यता दी जाय।

4.परिवहन भत्ता :

केन्द्र सरकार के द्वारा अपने कर्मियों को परिवहन भतता के र में 5400/–रू0 और उससे उपर के ग्रेड वेतन पाने वाले पदाधिकारियों श्रेणी 'ए' को छोड़ कर 1600/–रू0 और उस पर महंगाई भत्ता स्वीकृत कि गया है।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की यह मांग है कि बिह प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को भी केन्द्र सरकार के अनुरूप परिवह भत्ता की अनुमान्यता दी जाय।

5.शिक्षण भत्ता:

केन्द्रीय सरकार के कर्मियों की तरह बिहार बिहार प्रशासनि सेवा के पदाधिकारियों को शिक्षा भत्ता के रूप में 1000/–रू0 प्रति बच्चा प्रि माह (अधिकतम दो बच्चों के लिए) तथा छात्रावास भत्ता 3000/–रू0 प्रतिमा अनुमान्यता दी जाय।

6.चिकित्सा भत्ता:

(क) केन्द्रीय कर्मियों की तरह बिहार प्रशासनिक सेवा व पदाधिकारियों को भी बर्हिवासी एवं अन्तरवासी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्त्ति क सुविधा प्रदान की जाय।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक :...............................   दिनांक ....

अध्यक्ष
अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123
+++
उपाध्यक्ष
* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(R) 0612-2288139
* मो० एखलाक अहमद
(M) 9934280177
+++
महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(R) 0612-2271428
+++
संयुक्त सचिव
* राजचन्द्र डडियार
(M) 9431093157
* अनिल कुमार
(M) 9431409463
+++
कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351
+++
संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901

(ख) बिहार प्रशासनिक सेवा के महिला पदाधिकारियों को मातृत्व अवकाश 180 दिन स्वीकृत किया जाय।

7.उपादानः

केन्द्रीय सरकार की तरह बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को भी उपादान मद में अधिकतम उपादान की सीमा 10 लाख निर्धारित की जाय तथा दिनांक 1.4.2007 से भुगतान अनुमान्य किया जाय।

8.अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले समतुल्य राशि का भुगतानः

अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के रूप में 300 दिनों का वे... उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के समय यदि उपार्जित अवकाश कम हो रहा ... तो उस अवस्था में देय अर्द्ध वैतनिक अवकाश को उपार्जित अवकाश के रूप ... गणना करने का आदेश केन्द्रीय सरकार के कर्मियों के अनुरूप करने ... अनुमान्यता दी जाय।

सेवा में मृत्यु होने पर देय उपार्जित अवकाश के बदले नगद र... की प्राप्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निम्नवत् पात्रता का निर्धारण किया गया ... उसी के अनुरूप बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के आश्रितों को ... सुविधा दी जाय।

क– विधवा सबसे बड़ी जीवित विधवा (विवाह की तिथि के स... के साथ) या पति।

ख– जीवित सबसे बड़ा पुत्र या कोई दत्तक पुत्र।

ग– सबसे बड़ी जीवित अविवाहित पुत्री।

घ– सबसे बड़ी जीवित विधवा पुत्री।

ड0–पिता।

च– माता।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक :.................................. दिनांक ....

अध्यक्ष
अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123
+++
उपाध्यक्ष
* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(R) 0612-2288139
* मो॰ एखलाक अहमद
(M) 9934280177
+++
महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(R) 0612-2271428
+++
संयुक्त सचिव
* राजनन्द बडियार
(M) 9431093157
* अनिल कुमार
(M) 9431409463
+++
कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351
+++
संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901

छ– सबसे बड़ी जीवित विवाहिता पुत्री।

ज– सबसे बड़ी जीवित भाई जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो।

झ– सबसे बड़ी जीवित अविवाहिता बहन।

ट– जीवित सबसे बड़ी विधवा बहन और

ठ– असमय काल कवलित सबसे बड़े पुत्र के सबसे बड़ी संतान।

9.एल0टी0सी0 :

गृह यात्रा छुट्टी रियायत को अनुमान्य किया जाय।

(सुशील कुमार)
महासचिव।

(ए0सी0मिश्र)
अध्यक्ष